न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 17/2015 (बांसवाड़ा आर्डर)

1. मावजी पिता लालू, जाति चरपोटा भील, निवासी बारीसियातलाई, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)
2. रावजी पिता लालू, जाति चरपोटा भील, निवासी बारीसियातलाई, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)
3. नारजी पिता लालू, जाति चरपोटा भील, निवासी बारीसियातलाई, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)
4. राजेन्द्र पिता स्व0 दलजी, जाति चरपोटा भील, निवासी बारीसियातलाई, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)
5. श्रीमती नाकुड़ी पत्नी स्वर्गीय दलजी, जाति चरपोटा भील, निवासी बारीसियातलाई, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. सरकार जरिये जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)
2. भूमिधारी तहसीलदार, बांसवाड़ा (राज.)
3. जिला परियोजना समन्वयक (रामसा) शिक्षा विभाग, बांसवाड़ा (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा–75 राज. भू–राजस्व
अधि.1956 विरूद्ध निर्णय व आदेश दिनांक
22.04.2015 नामान्तरकरण संख्या 345 दि॰
11–05–2015 जिला कलक्टर, बांसवाड़ा

———/———

उपस्थित :– 1– श्री भालचन्द नागर अभिभाषक अपीलान्टगण
2– राजकीय अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2

———::———

निर्णय **दिनांक 09–11–2017**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा द्वारा अपने आदेश दिनांक 22–04–2015 नामान्तरकरण संख्या 345 दिनांक 11–05–2015 से ग्राम बारीसियातलाई की आराजी नंबर 147, 150, 151,

152, 153, 329/164 एवं 73/2 किता 7 रकबा 27 बीघा 1 बिस्वा में से 17 बीघा 16 बिस्वा भूमि राजकीय मॉडल विद्यालय बांसवाड़ा को निशुल्क आवंटित करने के आदेश दिये, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 05–11–2015 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर कथन किया कि उक्त आदेश का ज्ञान उसे दिनांक 20–10–2015 को हुआ, इससे पूर्व उसे अधिनस्थ न्यायालय के आदेश की जानकारी नहीं थी। अपील देरी से प्रस्तुत करने का सद्भावी कारण है। अतएवं मयाद कण्डोन की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

→ चूंकि अपीलान्ट अधिनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं था अतएवं उसे अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी होने का कोई आधार नहीं है। अतएवं न्यायहित एवं अखण्डित शपथ पत्र के आधार पर देरी को कण्डोन किया जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट में अपील मीमों में ही वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराया एवं अधिनस्थ न्यायालय के आदेश को त्रुटि पूर्ण बताते हुए अपास्त करने की प्रार्थना की। वहीं वकील रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

अपीलान्ट ने प्रमुख उजर यह लिया है कि अधिनस्थ न्यायालय अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आवंटन पूर्व मौका नहीं देखा गया है। मात्र कागजी कार्यवाही से आनन–फानन में निर्णय कर दिया है। वादग्रस्त भूमि पर अपीलान्ट का अपने बाप–दादाओं के समय से कब्जा होकर उसके मकान बने हुए हैं, जिसमें वह निवास करते हैं तथा विद्युत विभाग से विद्युत कनेक्शन भी ले रखा है तथा उपरोक्त जगह के राशन कार्ड व पहचान पत्र तथा आधार कार्ड बनवा रखा है। इसके अतिरिक्त अपीलान्ट के पास कोई

भूमि नहीं। अपीलान्ट भील जाति के होकर गरीब परिवार से है तथा आय का अन्य कोई स्त्रोत नहीं है तथा उन्होंने भूमि को काबिल काश्त बनाया है।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं रेकार्ड का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया तो पाया कि अपीलान्ट अधिनस्थ न्यायालय में पक्षकार ही नहीं थे तो उन्हें अपील पेश करने से पहले दफा 96 जा.दी. का आवेदन प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने की अनुज्ञा प्राप्त करनी चाहिए थी, परन्तु उनके द्वारा अपील प्रस्तुत करने की अनुमति लिये जाने बाबत् कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतएवं प्रथम दृष्टया अपील विधि के उल्लंघन में प्रस्तुत होने से इसी स्तर पर ही खारिज योग्य है।

अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ विभिन्न दस्तावेज व फोटोग्राफ प्रस्तुत किये है, परन्तु आदेश 41 नियम 27 जा.दी. के तहत दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये हैं तथा जो दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं वह फोटो प्रतियां मात्र हैं, जिनका कोई साक्ष्य मूल्य नहीं होने से उक्त दस्तावेज आदेश 41 नियम 27 जा.दी. के तहत प्रस्तुत नहीं होने के कारण रेकार्ड पर लिये जाने की कोई उपादेयता नहीं है।

अतएवं अपील अपीलान्ट दफा 96 जा.दी. का आवेदन प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण एवं प्रस्तुत दस्तावेज आदेश 41 नियम 27 जा.दी. के आवेदन के तहत प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण अपील गुणावगुण आधार पर भी खारिज योग्य है। तद्नुसार अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 22–04–2015 यथावत रखा जाता है।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 11–09–2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर